न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 38/2012 (राविं प्रकरण सं028/2018)
दायरा तिथि : 15.05.2012
निर्णय तिथि : प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2015 फाईनल डिक्री दि0 10-6-2019

वादीगण :–

सुमटी बेवा चौपाजी के कायम मुकाम वारिशान:–

1. हरजी पुत्र चौपाजी
2. भेरा पुत्र चौपाजी
3. बाबा उर्फ बाबू पुत्र चौपाजी जातिगण मीणा
   निवासी मालनू तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तलसा पुत्र छोगाजी
2. सुरेश पुत्र छोगाजी
3. प्रभु पुत्र छोगाजी तमाम जाति से मीणा
   निवासीगण मालनू तहसील बाली जिला पाली (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थिति :–

1. श्री गणपतलाल चौधरी — अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादीगण .... अनुपस्थित।
3. तहसीलदार, बाली — पैरोकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: : **निर्णय** : : दिनांक : 10-6-2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादीगण की माता द्वारा ग्राम मालनू तहसील बाली में स्थित राजस्व भूमि खसरा नंबर 316 से 321 कुल खसरा–06 के संबध में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् विभाजन एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा का पेश किया गया। वादीगण की माता द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में 15.03.2015 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट, मालनू में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं मौका कब्जा को दृष्टिगत रखते हुये वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। तथा तहसीलदार, बाली को जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट में रखी भूमि का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा इस आदेश की पालना हेतु पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण में P.D.रिपोर्ट प्राप्त होने पर फाईनल डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये गये। न्यायालय आदेश की पालना समय रहते नहीं होने से तथा वादी की मृत्यु हो जाने से उनके वारिशानो की ओर से दिनांक 17.04.2018 को न्यायालय आदेश की पालना कराये जाने बाबत् Execution प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस प्रार्थना पत्र में वादीगण द्वारा निवेदन किया गया पक्षकारों में भविष्य में विवाद न हो, इस हेतु पुरी भूमि के दो भाग ही किये जावे, उन दो भागों मेंसे प्रतिवादीगण को प्रथम वरियता दी जावे, एवं शेष रहा दुसरा भाग वादीगण लेने को तैयार हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 15.03.2015 को पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर विभाजन रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम मालनू के खसरा नंबर 316, 317, 318, 319, 320, 321 कुल खसरा–06 जुमले रकबा 5.58 हैक्टर किस्म चाही दोयम, बारानी दोयम, जाव दोयम व गै.मु. बेरा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 19/ 13.05.2019 से अग्रांकितानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये:–

पेज लगातार....02

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 38/2012 (राविo प्रकरण संo 28/2018) अनवान सुमटी के कामु. हरजी वगैरा बनाम तलसा वगैरा अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
सूमटी बेवा चौपा हरजी, भेरा, बाबा पिo चोपा कौम मेणा सा. देह खातेदार	317	0.72	जादो 0.38	3.42	आसमानी
			चा.दो. 0.34	9.52	
	318/1	0.19	चा.दो. 0.15	4.20	
			जा.दो. 0.04	0.36	
	319/1	0.72	जा.दो. 0.25	2.25	
			चा.दो. 0.47	13.16	
	321	1.09	चा.दो. 0.63	17.64	
			जा.दो. 0.46	4.14	
	4	2.72	चा.दो. 1.59	44.52	
			जा.दो. 1.13	10.17	
तलसा सुरेश प्रभू पिo छोगा कौम मेणा सा. देह खातेदार	316	0.32	बा.दो. 0.32	1.60	जामूनी
	317/1	0.41	चा.दो. 0.41	11.48	
	318	1.29	चा.दो. 0.88	24.64	
			जा.दो. 0.41	3.69	
	319	0.70	जा.दो. 0.25	2.25	
			चा.दो. 0.45	12.60	
	4	2.72	बा.दो. 0.32	1.60	
			चा.दो. 1.74	48.72	
			जा.दो. 0.66	5.94	
वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती सुमटी बेवा चोपा हरजी भेरा बाबा पि. चोपा हिo 1/2 तलसा सुरेश प्रभू पिo छोगा हि. 1/2 कौम मेणा सा. देह खातेदार	319/2	0.08	चा.दो. 0.04	1.12	लाल (रास्ता हेतू)
			जा.दो. 0.04	0.36	
	320	0.06	गै.मु.बेरा 0.06		
	02	0.14	—		

त्हसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन. रिपोर्ट के संबध में वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी की दलीलो को सुना गया। वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अतः बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकुलाय सरहद मौजा ग्राम मालनू के खसरा नंबर 316, 317, 318, 319, 320, 321 कुल खसरा–06 जुमले रकबा 5.58 हैक्टर किस्म चाही दोयम, बारानी दोयम, जाव दोयम व गै.मु. बेरा कुल लगानी 112.43 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, के तहत तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
सूमटी बेवा चौपा हरजी, भेरा, बाबा पिo चोपा कौम मेणा सा. देह खातेदार	317	0.72	जादो 0.38	3.42	आसमानी
			चा.दो. 0.34	9.52	
	318/1	0.19	चा.दो. 0.15	4.20	
			जा.दो. 0.04	0.36	
	319/1	0.72	जा.दो. 0.25	2.25	
			चा.दो. 0.47	13.16	
	321	1.09	चा.दो. 0.63	17.64	
			जा.दो. 0.46	4.14	
	4	2.72	चा.दो. 1.59	44.52	
			जा.दो. 1.13	10.17	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली जिला

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
तलसा सुरेश प्रभू पि0 छोगा कौम मेणा सा. देह खातेदार	316	0.32	बा.दो. 0.32	1.60	जामूनी
	317/1	0.41	चा.दो. 0.41	11.48	
	318	1.29	चा.दो. 0.88	24.64	
			जा.दो. 0.41	3.69	
	319	0.70	जा.दो. 0.25	2.25	
			चा.दो. 0.45	12.60	
	4	2.72	बा.दो. 0.32	1.60	
			चा.दो. 1.74	48.72	
			जा.दो. 0.66	5.94	
वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती सुमटी बेवा चोपा हरजी भेरा बाबा पि. चोपा हि0 1/2 तलसा सुरेश प्रभू पि0 छोगा हि. 1/2 कौम मेणा सा. देह खातेदार	319/2	0.08	चा.दो. 0.04	1.12	लाल (रास्ता हेतू)
			जा.दो. 0.04	0.36	
	320	0.06	गै.मु.बेरा 0.06		
	02	0.14	–		

प्रस्तुत तथ्यों से यह जाहिर हैं कि श्रीमति सुमटी बेवा चोपा की मृत्यु हो चुकी है, अतः मृत व्यक्ति के वारिशान के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करते हुये रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। वादीगण के हिस्से/बंट में रखी भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार दखलन्दाजी नही करे इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 112.43 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री पर्चा अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये नायब तहसीलदार, नाना व पटवारी हल्का, मालनू को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 10-6-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उप - खण्ड अधिकारी, बाली